प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

073 भरतपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि -

डॉ. सुभाष गर्ग, डी-121, रनजीत नगर, भरतपुर (राज.) जो राष्ट्रीय लोक दल द्वारा खड़े किए गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: एम.एस.जे. कॉलेज भरतपुर

दिनांक: 03 दिसम्बर 2023

(सृष्टि जैन)

रिटर्निंग आफिसर

073-भरतपुर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र

(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट,भरतपुर)

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 073 Bharatpur Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules,1961, I declare that—

DR. SUBHASH GARG, D-121, RANJEET NAGAR BHARATPUR (RAJ:) sponsored by RASHTRIYA LOK DAL has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: M.S.J. College, Bharatpur

Date: 03-12-2023

(Srishti Jain)
Returning Officer

073- Bharatpur Assembly Constituency

(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Bharatpur)
(মুডি খ্ৰীৰ)

रिटर्निंग आफिसर 073 भरतपर विधानसभा ि जन-श्रेत्र

073 भरतपुर विधानसभा । जन-श्रेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं उन सन्द्रमः द्रुटः, मस्तपुर